<u>संख्या:95/2026/583/35-4-2026/35-4002(003)/47/2026</u>

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-310 /त्वा0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक -14 मार्च, 2026 व पत्र सं0-311 /त्वा0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक -14 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **4717.11** लाख (रूपये सैतालीस करोड़ सत्रह लाख ग्यारह हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **2365.00** लाख (रूपये तेईस करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	वि० ख० बाकेगंज की ग्रामसभा सौखिया में पेंटेड रोड से त्रिमोहन के प्लाट तक इण्टरलांक व नाली निर्माण कार्य।	550	45.62	23.00	ग्रा.अ.वि.
2	वि० ख० बांकेगंज ग्रामसभा कुकरा में भीरा कुकरा मुख्य मार्ग से नूरी मेडिकल होते हुए चमन चौराहे तक इण्टरलांक व नाली निर्माण कार्य।	550	64.51	32.00	ग्रा.अ.वि.
3	वि० ख० बिजुआ के ग्रामसभा बीबीपुर में होली स्थान से मनोज के मकान तक इण्टरलांक निर्माण कार्य।	500	28.83	14.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4	वि० ख० बिजुआ की ग्रामसभा सूरजपुर जंगल न० 7 के मजरा राऊटांडा में पेंटेड रोड से काशीराम के घर तक इण्टरलांक निर्माण कार्य।	505	31.22	16.00	ग्रा.अ.वि.
5	वि० ख० पलिया के ग्रामसभा त्रिलोकपुर के मजरा मटहिया में रामसागर के मकान से वेदराम के मकान तक पेंटिंग रोड एवं पुलिया निर्माण कार्य।	750	54.05	27.00	ग्रा.अ.वि.
6	वि० ख० बांकेगंज ग्रामसभा सुआबोझ के मजरा कपरहा कुआं में रमेश कोटेदार के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	550	35.11	18.00	ग्रा.अ.वि.
7	वि० ख० बांकेगंज की ग्रामसभा बनबुधेली में बुधेली नानकार में नहर पुलिया से नरसिंहपुर में बाबूराम के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	850	54.79	27.00	ग्रा.अ.वि.
8	वि० ख० बांकेगंज ग्रामसभा ग्रन्ट न० 11 के उदयपुर में निगम के मकान से सुरेश के मकान तक इण्टरलांक निर्माण कार्य।	680	50.39	25.00	ग्रा.अ.वि.
9	वि० ख० पलिया की ग्रामसभा बसन्तापुर खुर्द के बुधापुरवा में पेटिंग रोड से रामकुमार के मकान तक इण्टरलांक निर्माण कार्य।	540	35.39	18.00	ग्रा.अ.वि.
10	वि० ख० पलिया की ग्रामसभा त्रिकोलिया में पलिया सम्पूर्णानगर में मुख्य मार्ग से प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र होते हुए गांव तक इण्टरलांक व पुलिया निर्माण कार्य।	550	43.52	22.00	ग्रा.अ.वि.
11	वि० ख० पलिया के ग्राम सुमेरनगर में फेरू के मकान से श्मशान घाट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	35.51	18.00	ग्रा.अ.वि.
12	वि0ख0 बिजुआ की ग्रामसभा भानपुर के मजरा कन्नापुर में काशीराम के मकान से राधेश्याम के मकान होते हुए मिहीलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	502	30.61	15.00	ग्रा.अ.वि.
13	विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम पंचायत सेमरा बाजार के मजरा चचरापुरवा डामर रोड से रमेश के घर के पास तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	533	40.14	20.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

14	विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम पंचायत सुजानपुर के मजरा कृष्णानगर कलोनी में विमल सरकार के घर से दिवास व मिलन के घर श्याम के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	520	47.05	24.00	ग्रा.अ.वि.
15	विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम पंचायत रामनगर बगहा के मजरा मिझरिया में राज बहादुर पाल के घर से डामर रोड तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	500	43.77	22.00	ग्रा.अ.वि.
16	विकास खण्ड निघासन के ग्राम पंचायत मोतीपुर में मनोज के घर से जमुना के घर तक व शीतल के घर से होते हुये राम किशोर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	550	46.61	23.00	ग्रा.अ.वि.
17	विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम पंचायत सोहरिया में सुखई के घर से राहुल के घर होते हुये भजन लाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	650	42.75	21.00	ग्रा.अ.वि.
18	नगर पंचायत निघासन के पटेल नगर वार्ड में निघासन ढकेरवा मार्ग से इण्टरलॉकिंग तक व अशु तिवारी की दुकान से हर्ष गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	600	59.39	30.00	ग्रा.अ.वि.
19	विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम पंचायत राम नगर बगहा में सुरेश तिवारी के घर से गनमोचन के घर तक व चुम्मन सिंह के घर से भगवान सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	520	36.41	18.00	ग्रा.अ.वि.
20	विकास खण्ड रमियाबेहड के ग्राम पंचायत खरवहिया न0-02 में डामर रोड से परागी के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	520	37.23	19.00	ग्रा.अ.वि.
21	विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम पंचायत दरेरी के मजरा दुर्जनपुरवा में डामर रोड से दाताराम के घर तक एवं बदलू के घर से राम सागर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	507	38.32	19.00	ग्रा.अ.वि.
22	विकास खण्ड रमियाबेहड़ के ग्राम पंचायत खैरटिया में मनीराम के घर से ठाकुर प्रसाद के घर के पास तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	520	39.02	20.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

23	विकास खण्ड निघासन के ग्राम पंचायत भिड़ौरा के मजरा मुसरहा में खैरीगढ़ डामर रोड से कमलेश भण्डारी के खेत से जानकी के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	550	59.31	30.00	ग्रा.अ.वि.
24	वि०ख० कुम्भी-गोला के ग्राम पंचायत कोटवारा में गोला-कोटवारा मुख्य मार्ग बाजार से कोटखेरवा सी0सी0 रोड तक लेपन रोड निर्माण कार्य।	1070	73.56	37.00	ग्रा.अ.वि.
25	वि०ख० कुम्भी-गोला के ग्राम पंचायत घुंसी में मुबारक अली के मकान से मुसीद खॉ व काशीराम के मकान होते हुए प्रा0वि0 घुंसी तक इन्टरलॉक का निर्माण कार्य।	550	41.26	21.00	ग्रा.अ.वि.
26	वि०ख० बिजुआ के ग्राम पंचायत बेलवा मलुकापुर के मजरा मलुकापुर में लखीमपुर-बिजुआ मार्ग रामभजन के मकान से रामहेत दीक्षित व रामकुमार सिंह के मकान होते हुए राधास्वामी सत्संग व्यास तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	575	48.38	24.00	ग्रा.अ.वि.
27	वि०ख० कुम्भी-गोला के ग्राम पंचायत के रोशननगर में जगदीश के मकान से अखिलेश व सर्वेश के मकान होते हुये लल्लेपाल के मकान तक इण्टरलॉक व नाली निर्माण।	615	52.69	26.00	ग्रा.अ.वि.
28	वि०ख० कुम्भी-गोला के ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत हजरतपुर में अम्बेडकर मूर्ति से टेढ़ेनाथ मंदिर मार्ग तक इन्टरलॉक निर्माण कार्य।	560	45.43	23.00	ग्रा.अ.वि.
29	वि०ख० कुम्भी-गोला के ग्राम पंचायत गोला देहात में नई वाईपास मुख्य मार्ग से हजारी मुर्गे वाले के मकान होते हुए जहानपुर तारकोल रोड तक इन्टरलॉक व नाली निर्माण कार्य।	550	69.32	35.00	ग्रा.अ.वि.
30	वि०ख० कुम्भी-गोला के ग्राम पंचायत गोला देहात में काशीराम आवास मोड़ तिराहे से नरायन कॉलोनी होते हुए नगर पालिका परिषद कि हद तक किसोरीलाल गुप्ता के मकान तक इन्टरलॉक व एक साइड नाली निर्माण कार्य।	525	93.42	47.00	ग्रा.अ.वि.
31	वि०ख० बॉकेगंज के ग्राम पस्तौर में तारकोल रोड से गुरूद्वारा होते हुए बलवंत सिंह के मकान के तिराहे तक इण्टरलॉक व नाली निर्माण कार्य।	735	65.83	33.00	ग्रा.अ.वि.

http://shasanadesh.up.gov.in

32	वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम तेतारपुर में दक्षिण में तिवारी के मकान से उत्तर में देवस्थान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	500	34.76	17.00	ग्रा.अ.वि.
33	वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम फूलबेहड़ के मजरा ढाकी में देवरहा बाबा स्थान से फूलबेहड़ पेन्टेड मार्ग से होते हुए हेमनाथ के खेत तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	510	35.45	18.00	ग्रा.अ.वि.
34	वि0ख0 लखीमपुर में गोला रोड खन्ता ताल ग्राम कोरैया जंगल तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	690	43.99	22.00	ग्रा.अ.वि.
35	वि0ख0 लखीमपुर के ग्राम पिपरिया अंडू पुलिया के पास से ग्राम हसनापुर तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	655	45.49	23.00	ग्रा.अ.वि.
36	वि0ख0 लखीमपुर के ग्राम पंचायत कोढ़ैया में लीला कुआं बाजार से ग्राम कोढ़ैया पुलिया तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	825	57.27	29.00	ग्रा.अ.वि.
37	वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत सरवा में बंधे से ग्राम राजारामपुरवा तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	500	34.76	17.00	ग्रा.अ.वि.
38	वि0ख0 लखीमपुर के ग्राम गनेशपुर से दनियारपुर सम्पर्क नार्ग तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	1260	90.13	45.00	ग्रा.अ.वि.
39	वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम गिरधरपुर में इन्द्रा प्रसाद के घर से नौवां तालाब तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	590	40.99	20.00	ग्रा.अ.वि.
40	वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम अग्गर खुर्द से ग्राम अगरा तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	650	45.16	23.00	ग्रा.अ.वि.
41	वि0ख0 फूलबेहड़ के ग्राम दलेलनगर में रंजीत कुमार के मकान से जगदम्बा के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	500	34.76	17.00	ग्रा.अ.वि.
42	वि0ख0 नकहा के ग्राम तनाजा पो० कोठिया शारदा नगर हाइवे से प्राथमिक वि0 तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	660	53.89	27.00	ग्रा.अ.वि.
43	विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायत बबुरी में राजू के घर से बसंत राम के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	35.17	18.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

44	विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ईसानगर के मजरा शिवपुर में सुरेश जायसवाल के घर से उ0प्रा0 विद्यालय शिवपुर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	560	41.87	21.00	ग्रा.अ.वि.
45	विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायत अदलिशपुर के मजरा नौरंगपुर में प्रा0वि0 से उ0प्रा0 विद्यालय तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	45.84	23.00	ग्रा.अ.वि.
46	विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायत करौहा में पैकरमा गौतम के घर से झन्नू भार्गव के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	550	41.83	21.00	ग्रा.अ.वि.
47	विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायत हसनापुर के मजरा पकरिया पुरवा में दाताराम के घर से दुर्गेश के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	510	45.57	23.00	ग्रा.अ.वि.
48	विकास खण्ड रमियाबेहड की ग्राम पंचायत जम्हौरा के मजरा दीनापुरवा में ध्रुव मौर्या के घर से विद्याधर मौर्या के खेत तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	543	44.12	22.00	ग्रा.अ.वि.
49	विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम पंचायत महरिया के मजरा भिखारीपुरवा में कमलेश के मकान से डलई पुरवा में मोलहे राजपूत के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	560	50.82	25.00	ग्रा.अ.वि.
50	विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायत देवीपुरवा के मजरा सरजूनगर में भल्लू निषाद के घर से वीरेन्द्र बाल्मीकि के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	39.40	20.00	ग्रा.अ.वि.
51	विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायत रामलोक के मजरा अवस्थीपुरवा में सिसैया चौराहा हाईवे से अवस्थीपुरवा गॉव तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	600	43.64	22.00	ग्रा.अ.वि.
52	विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम पंचायत ओझापुरवा में अवधराम भार्गव के घर से बैजू भार्गव के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	880	61.51	31.00	ग्रा.अ.वि.
53	विकास खण्ड धौरहरा की ग्राम पंचायत मूसेपुर में गुड्डू के घर से धर्मपाल मौर्य के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	500	45.26	23.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

54	कास खण्ड लखीमपुर के ग्राम पंचायत रमुवापुर सत्ती के मजरा भगौतीपुर में प्राथमिक विद्यालय से ओम प्रकाश, ज्ञानचन्द्र, लालूराम के मकान से होते हुए लालपुर उजारगूम डामर रोड तक आबादी भाग में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	600	53.29	27.00	ग्रा.अ.वि.
55	विकास खण्ड बेहजम की ग्राम पंचायत मढ़िया के मजरा बडहरपुरवा में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	620	46.04	23.00	ग्रा.अ.वि.
56	वि0ख0 बेहजम की ग्राम पंचायत सरैंया की मजरा गुलरीपुरवा में सीतापुर-लखीमपुर मार्ग तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	830	61.74	31.00	ग्रा.अ.वि.
57	विकास खण्ड लखीमपुर के ग्राम पंचायत पिपरा करमचन्द्र उजारगूम में डामर रोड से ढखवा रोड के मध्य भाग पर डामर रोड व आबादी भाग में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	800	81.56	41.00	ग्रा.अ.वि.
58	विकास खण्ड लखीमपुर के ग्राम पंचायत भानपुर में गोपालापुर डामर रोड से भानपुर होते हुये बाजूडीह से डामर रोड व आबादी भाग में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण।	1400	100.49	50.00	ग्रा.अ.वि.
59	वि0ख0 लखीमपुर के ग्राम पंचायत कादीपुर से मछेदिया तक डामर रोड निर्माण।	1070	75.08	38.00	ग्रा.अ.वि.
60	वि0ख0 बेहजम में बनिका से सरैंया के बीच डामर रोड का निर्माण।	1050	79.05	40.00	ग्रा.अ.वि.
61	विकास खण्ड बेहजम के ग्राम पंचायत बहादुरपुर में रामचन्द्र गौतम के मकान से बिहारी लाल गौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	560	39.38	20.00	ग्रा.अ.वि.
62	विकास खण्ड बेहजम के ग्राम पंचायत बिल्लाई में मुख्य मार्ग से सरकारी हैण्डपम्प, अरविन्द के मकान से सन्तराम के मकान तक एवं भानुप्रताप के मकान से राम भरोसे के मकान तक इण्टरलकिंग व नाली निर्माण कार्य।	507	42.05	21.00	ग्रा.अ.वि.
63	विकास खण्ड बेहजम के ग्रा०पं० लखहा में सी०सी० रोड से कोढैया पेण्टेड रोड तक इण्टरलकिंग व लेपन कार्य।	1045	72.15	36.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

64	विकास खण्ड मितौली ग्रा०पं० खमरिया के पिपरा-पलिया सम्पर्क मार्ग से ग्राम हैदरनगर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	520	39.66	20.00	ग्रा.अ.वि.
65	विकास खण्ड मितौली की ग्रा०पं० बबौना के मजरा खुर्दा में सुरेश वर्मा के मकान से सी०सी० रोड तक, मनोहर लाल के घर से बन्धा लाल के घर तक, राकेश के घर से दातारम के घर होते हुये छोटे लाल के घर तक एवं प्रदीप मिश्रा के घर से भिखारी लाल के घर तक सी०सी० रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य।	508	29.62	15.00	ग्रा.अ.वि.
66	वि०ख० मितौली के ग्राम पंचायत चपरदहा मजरा झाला में मोनू सिंह के चक्की से कैप्टन संदीप बाबू के घर होते हुए सुखपाल के घर तक इंटरलॉकिग निर्माण कार्य।	520	38.87	19.00	ग्रा.अ.वि.
67	विकास खण्ड मितौली की ग्रा०पं० दानपुर में पेण्टेड रोड राजकुमार मिश्रा के घर से अम्बिका भार्गव व जुगुधा देवी मौर्य बी०डी०सी० के घर होते हुये किशोरी लाल के घर के पास पुरानी इण्टरलाक तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	610	36.90	18.00	ग्रा.अ.वि.
68	विकास खण्ड मितौली के ग्रा०पं० कल्लियारामपुर में सीतापुर कस्ता मार्ग से विनोद दीक्षित के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	630	48.74	24.00	ग्रा.अ.वि.
69	विकास खण्ड मितौली के ग्रा०पं० कानाखेड़ा के मजरा चकरामपुर से चटौरा तक लेपन कार्य।	955	83.43	42.00	ग्रा.अ.वि.
70	विकास खण्ड पसगवों के ग्राम पंचायत औरंगाबाद में ढखिया पेण्टेड रोड से ओम प्रकाश के घर के पास पुरानी इण्टरलाक तक इण्टरलकिंग कार्य।	625	56.65	28.00	ग्रा.अ.वि.
71	वि0ख0 मोहम्मदी की ग्राम सभा पकरिया में भीम नगर तिराहा से बाबा टेढेनाथ (महाभारत कालीन मंदिर) तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग की ओर इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	600	39.64	20.00	ग्रा.अ.वि.
72	वि0ख0 मोहम्मदी की ग्राम सभा मियांपुर कालोनी के आगे टीला से डामर रोड होते हुए इमलिया घाट (गोमती तट) की ओर इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	650	45.21	23.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

73	वि0ख0 मोहम्मदी की ग्राम सभा शाहपुर राजा से राजापुर बेनी मार्ग के मध्य से कालीचरन कुशवाहा के मकान होते हुए रामभजन के घर की ओर इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	520	35.20	18.00	ग्रा.अ.वि.
74	वि0ख0 मोहम्मदी की ग्राम सभा रेहरिया में नकटी माता मंदिर से गन्ना समिति तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	520	35.89	18.00	ग्रा.अ.वि.
75	वि0ख0 मोहम्मदी ग्राम सभा भोगियापुर में रामू बाल्मीकि के मकान से पानी टंकी तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	650	63.89	32.00	ग्रा.अ.वि.
76	नगर पालिका परिषद मोहम्मदी में यू0डी0 स्कूल से बरा सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	800	58.64	29.00	ग्रा.अ.वि.
77	विकास खण्ड मोहम्मदी की ग्राम सभा राजापुर बेनी में यज्ञशाला से बडेरा तिराहे की ओर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	550	38.22	19.00	ग्रा.अ.वि.
78	वि0ख0 पसगवॉ में एन0एच0 24 से शाहाबाद रोड पर अंडरपास के आगे पहला खडण्जा से ग्राम सुनौआ तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण।	700	47.41	24.00	ग्रा.अ.वि.
79	वि0ख0 पसगवॉ शेखपुर चौराहे से बढ़वारी ऊधौ की ओर (डामर रोड) तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण।	820	55.52	28.00	ग्रा.अ.वि.
80	वि0ख0 पसगवॉ की ग्राम सभा चक मनोहर में डामर रोड से गांव के अंदर तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य।	515	39.89	20.00	ग्रा.अ.वि.
81	वि0ख0 पसगवॉ की ग्राम सभा गोना- मुडिया मार्ग से नरवीर बाबा के आगे तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	500	44.37	22.00	ग्रा.अ.वि.
82	न.पं. ओयल में मो॰ कवडियन टोला में दीनदयाल पार्क से लध्मीनरायन हनुमान मन्दिर एवं अम्बेडकर पार्क के सामने होते हुए राजा रोड मोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	995	91.58	46.00	ग्रा.अ.वि.
83	न.पं. ओयल में मो॰ मुराउन टोला में त्रिभुवन के मकान से श्रवण मौर्य, बस स्टाप शरद गुप्ता के मकान होते हुए वेदप्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	950	87.45	44.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

84	वि० ख० लखीमपुर के ग्राम पंचायत बैंदनपुरवा मजरा पचपेड़वा में शारदा नहर लिंक मार्ग से राम सागर के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	585	42.20	21.00	ग्रा.अ.वि.
85	वि० ख० नकहा के ग्रा०पं० कोरैया आल में रामासरे के घर से पंचायत भवन तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	530	41.46	21.00	ग्रा.अ.वि.
86	न.पं. मैलानी मो० धर्मशाला वार्ड नं0 9 में अजय कटियार के मकान से मियां रिक्शा वाले, रामकेवल के मकान होते हुये उत्सव गुप्ता के प्लाट तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	822	84.63	42.00	ग्रा.अ.वि.
87	वि०ख० बेहजम के ग्रा०पं ओयल देहात में युवराज दत्त इण्टर कालेज के गेट से कक्षाओं तथा प्रार्थना स्थल तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	510	35.39	18.00	ग्रा.अ.वि.
88	न.पं. ओयल के मो० मुराउनटोला में रोहित शर्मा के मकान से देवी मंदिर तक इण्टरलॉक व नाली निमार्ण कार्य।	525	53.07	27.00	ग्रा.अ.वि.
89	नगर पालिका परिषद लखीमपुर में मो0 द्वारिकापुरी में निघासन रोड से फूलचन्द्र गुप्ता के मकान होते हुये सत्यपाल गर्ग के मकान व संदीप मशीनरी, श्रीकांत अवस्थी के मकान तक इण्टर लॉक निर्माण कार्य	540	49.78	25.00	ग्रा.अ.वि.
90	विकास खण्ड कुम्भी के ग्राम बढैयाखेड़ा परगना मगदापुर में अमीरनगर अमरीघाट रोड से मोहम्मदपुर बढैया खेड़ा रोड तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	800	53.20	27.00	ग्रा.अ.वि.
91	विकास खण्ड नकहा के ग्राम कोठिया में चमेली रोड से श्री रामभूखन के मकान के पास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	510	35.36	18.00	ग्रा.अ.वि.
92	वि0ख0 मितौली के ग्राम सलारपुर ओसरी नानकार लिंक रोड से प्यारे पुरवा तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	700	39.54	20.00	ग्रा.अ.वि.
93	वि0ख0 पसगवॉ के ग्राम छोलाबारी में सदरियापुर मस्जिद से ग्राम छोलाबारी में डॉ0 मुजम्मिल की दुकान तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	700	42.99	21.00	ग्रा.अ.वि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

94	विकास खण्ड लखीमपुर की ग्राम पंचायत मनिकापुर में देवकली रोड से पीरपुर की तरफ इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1000	70.76	35.00	ग्रा.अ.वि.
	योग:	60562	4717.11	2365.00	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

22.राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

23.कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

24.जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

25.कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

26.यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

27.अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

28.कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

29.वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

30.प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

32.नियोजन विभाग के शासनादेश संख्याः 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त कार्यों में से **क्रमांक-82, 83, 86, 88 एवं 89 कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 1,84,00,000 (रू0 एक करोड़ चौरासी लाख मात्र) को** वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 **के बजट लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना- 0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा शेष कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 21,81,00,000 (रू0 इक्कीस करोड़, इक्यासी लाख मात्र) को अनुदान संख्या-40 के बजट लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:95/2026/583(1)/35-4-2025/35-4002(003)/47/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डायुक्त, लखनऊ मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर खीरी।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखीमपुर खीरी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।